[ 2018 ] 1 एस. सी. आर. 915

कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर.

वी.

मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर.

( सिविल अपील सं। 1661-1663 2018 का)

फरवरी 07,2018

[ आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015:

एस। 13 ( 1 ) – विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के खिलाफ-के तहत अपील

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग की रखरखाव क्षमता पारित की गई

विदेशी पुरस्कार को लागू करने का आदेश-यू/एस के खिलाफ अपील। 13 ( 1 ) –

इस आधार पर खारिज किया गया कि चूंकि एक अपील एस के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने वाले निर्णय से नहीं है। 50 मध्यस्थता अधिनियम की ऐसी कोई भी अपील वाणिज्यिक न्यायालयों के तहत विचारणीय नहीं होगी।

अधिनियम-अपील पर अभिनिर्धारित हैः धारा 50 मध्यस्थता के मामलों पर स्व-निहित संहिता में निहित एक प्रावधान है-- धारा 13 (1) माध्यस्थम् की तुलना में एक सामान्य प्रावधान है-दोनों कानूनों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, विशेष क़ानून यानी मध्यस्थता अधिनियम की तुलना में अधिक सामान्य क़ानून यानी वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को प्रभावी बनाकर उनका सबसे अच्छा सामंजस्य किया जाता है-इसलिए, एक अपील

रखरखाव योग्य नहीं है। 50 मध्यस्थता अधिनियम का प्रावधान यू/एस के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगा। 13 ( 1 ) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम-इसके विपरीत एक व्याख्या यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के सीधे विपरीत होगा। विवादों का त्वरित समाधान

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। 50 की व्याख्या

क़ानून-सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 50 मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता में निहित एक प्रावधान है, और जो प्रकृति में संपूर्ण है। यह.

इसमें * फुएर्स्ट डे लॉसन * में उल्लिखित नकारात्मक आयात है

ऐसा मामला जिसमें अधिनियम में उल्लिखित अपीलें नहीं हैं,

अनुमति है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक की धारा 13 (1)

उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 का अपीलीय प्रभाग (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम) वाणिज्यिक विवादों से उत्पन्न अपीलों से संबंधित मध्यस्थता का एक सामान्य प्रावधान होने के कारण, स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 के तहत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा। [ पैरा 21] [933-बी-डी] 2. यह सवाल अभी भी उठता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के परंतुक में स्पष्ट रूप से क्यों शामिल किया गया था, जो एक स्व-निहित संहिता में निहित अपील का समान रूप से एक विशेष प्रावधान है, जो किसी भी मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के बाहर होगा। इसका एक उत्तर यह है कि यह बहुत कम समय में किया गया था।

एक अन्य उत्तर यह हो सकता है कि चूंकि धारा 37 को स्वयं मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जो उसी दिन वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के रूप में लागू हुआ था, संसद ने अपने विवेक में सोचा कि इस बात पर जोर देना आवश्यक था कि संशोधित धारा 37 को सामान्य प्रावधान पर प्राथमिकता दी जाएगी।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) में निहित है। संयोग से, 2015 का संशोधन एक और पेश किया गया

मध्यस्थता अधिनियम में अपील योग्य आदेशों की श्रेणी में श्रेणी, अर्थात् एक श्रेणी जहां धारा 8 के तहत आदेश दिया जाता है। मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करना। संसद ने इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक पाया होगा कि धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने वाला आदेश धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य नहीं है और इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील योग्य नहीं होगा। जो भी हो सकता है

धारा 13 (1) के परंतुक में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को शामिल करने का अंतिम कारण, फ्यूर्स्ट डे लॉसन मामले में निर्णय का अनुपात निर्णय लागू होगा, और ऐसा होने पर, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 के तहत दायर अपीलों को केवल धारा 50 के अभ्यास का पालन करना होगा। [ पैरा 22] [933-ई-एच; 934-ए]

3. यह धारा 50 की भाषा से ही मिलता है। विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के सभी मध्यस्थता मामलों में, केवल धारा 50 ही अपील प्रदान करती है। अपील के लिए प्रावधान करने के बाद, अपील का मंच "कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. को सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय पर छोड़ दिया गया है।

वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर.

ऐसे आदेशों से अपील "। इसलिए, धारा 50 को ठीक से पढ़ने का अर्थ यह होगा कि यदि कोई अपील उक्त प्रावधान के तहत है, तो अकेले वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) को उस मंच को निर्धारित करने के रूप में आकर्षित किया जाएगा जो ऐसी अपील की सुनवाई और निर्णय करेगा। [ पैरा 23] [934-बी] 4. दोनों कानूनों के उद्देश्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता स्वयं विवादों का त्वरित समाधान है।

दलों के बीच। समान रूप से, यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यावसायिक रूप से एक समान भागीदार के रूप में बने रहना है, तो विदेशी पुरस्कारों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधिनियमन का कारण यह है कि इससे जुड़े वाणिज्यिक विवाद

बड़ी मात्रा में धन शीघ्रता से तय किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि

दोनों अधिनियमों के उद्देश्य, यदि एक अतिरिक्त अपील प्रदान की जाती है जब धारा 50 विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के लिए एक अपील को समाप्त कर देती है, तो यह मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को उनके शीर्ष पर बदल देगा। [ पैरा 28] [935-जी-एच; 936-ए]

5. यदि भारत में लागू किए जाने वाले विदेशी पुरस्कार में निहित राशि रुपये से कम थी। एक करोड़, और एक एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय को विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पुरस्कार को लागू करना था, कोई अपील नहीं होगी। हालाँकि, यदि इसी तथ्य की परिस्थिति में, एक विदेशी पुरस्कार एक करोड़ या उससे अधिक के लिए होना था, तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील प्रदान करके इस तरह के पुरस्कार के प्रवर्तन में और देरी होगी। ऐसी कोई भी व्याख्या बेतुकी होगी, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के सीधे विपरीत होगी। , तेजी से 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का समाधान। इस कारण से भी, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) का अर्थ निम्नलिखित के अनुसार लगाया जाना चाहिए:

अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य। इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 का कोई भी निर्माण, जिससे विदेशी अधिनिर्णय को तेजी से लागू करने के बजाय और देरी होगी, को रोका जाना चाहिए। [ पैरा 28] [936-बी-डी]

6. यहां तक कि दोनों कानूनों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने पर भी, यह स्पष्ट है कि [2018] 1 एस. सी. आर. देकर उनका सबसे अच्छा सामंजस्य किया जाता है।

विशेष क़ानून अर्थात मध्यस्थता अधिनियम, बनाम अधिक सामान्य क़ानून, अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, को मध्यस्थता के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। [ पैरा 28] [936-डी-ई]

* फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

( 2011 ) 8 एससीसी 333: [ 2011 ] 11 एस. सी. आर. 1; सुमितोमो

निगम बनाम सी. डी. सी. वित्तीय सेवा (मॉरीशस)

लिमिटेड और ओआरएस। ( 2008 ) 4 एससीसी 91: [ 2008 ] 3 एससीआर 309;

अरुण देव उपाध्याय बनाम। इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड

( 2016 ) 9 एससीसी 524: [ 2016 ] 7 एस. सी. आर. 976-पर निर्भर।

सीआईटी वी. इंडो-मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड [1959] 2 सप्लीमेंट। एससीआर

256 ; भारत संघ बनाम। मोहिंद्रा सप्लाई कंपनी

[ 1962 ] 3 एस. सी. आर. 497-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 2011 ] 11 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[ 1959 ] 2 पूरक। एससीआर 256

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[ 1962 ] 3 एससीआर 497

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

[ 2008 ] 3 एससीआर 309

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[ 2016 ] 7 एससीआर 976

पै

रा 25

उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 1661

1663 2018 से।

उच्च न्यायालय के 28.09.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अहमदाबाद में प्रथम अपील सं. 3096 , 3097 और 2017 का 3098।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, अर्चित जानी, कीर्ति कुमार

ठक्कर, ऋषभ पारिख, निशांत राव, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, अपीलार्थियों के वकील।

तेजास करिया, सुश्री अनन्या अग्रवाल, सुश्री सुरभी लाल, रविंदर

निझावन, एस. एस. श्रॉफ, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि क्या एक अपील, मध्यस्थता की धारा 50 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है और

सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित), फिर भी वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 (इसके बाद "वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (1) के तहत बनाए रखने योग्य है।

3. उपरोक्त मुद्दे को तय करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। 28 अप्रैल, 2014 को अनाज और चारा व्यापार संघ के मध्यस्थता नियम No.125 के अनुसार एक मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया था। ( जी. ए. एफ. टी. ए.) अपीलकर्ताओं, जो विक्रेता थे, को उत्तरदाताओं, जो खरीदार थे, को तिमाही विश्राम पर गणना की गई 4 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 846,750 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। अपील में, 16 अप्रैल, 2015 के एक आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं को तिमाही विश्राम पर गणना की गई 4 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 815,000 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

4. अपीलीय पुरस्कार से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने रानी की पीठ के समक्ष अपील दायर की। हालांकि, उक्त अपील आई

14 जुलाई, 2015 को इस आधार पर खारिज किया जाना कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय स्पष्ट रूप से गलत नहीं था। उपरोक्त के विरुद्ध

फैसले में, अपीलकर्ताओं ने क्वीन बेंच डिवीजन, वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे 15 सितंबर, 2015 को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने यू. के. में अपील न्यायालय, सिविल डिवीजन के समक्ष एक और अपील दायर की। अपील न्यायालय ने इस आधार पर अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि पुरस्कार स्पष्ट रूप से गलत नहीं था।

5. इस बीच, 29 जून, 2015 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत 2015 का ई. पी. <आई. डी. 1 होने के नाते एक निष्पादन याचिका दायर की गई थी।

जिला न्यायालय, गांधीधाम-कच्छ के समक्ष उत्तरदाता। 7 मार्च, 2016 को अपीलकर्ताओं ने उक्त याचिका पर अपनी आपत्तियां दायर कीं। 12 सितंबर, 2016 को, प्रत्यर्थियों ने निष्पादन याचिका को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक उचित आदेश के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 15 (5) के तहत गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन को प्राथमिकता दी। 11 नवंबर, 2016 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्पादन याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग में स्थानांतरित कर दिया और उक्त आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा 3 मार्च, 2017 को खारिज कर दिया गया।

18 ] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. 8 अगस्त, 2017 को गुजरात उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया और निष्पादन की अनुमति दी

प्रत्यर्थियों द्वारा दायर याचिका। इस निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत एक अपील दायर की, जिसे 28 सितंबर, 2017 के विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अपील का कोई अतिरिक्त अधिकार प्रदान नहीं करता है जो अन्यथा मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में केवल एक याचिका के मामले में अपील का प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मध्यस्थता अधिनियम (जो विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों को तेजी से निर्धारित करने के लिए था) की विधायी नीति को ध्यान में रखते हुए एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उक्त धारा के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने वाले निर्णय से अपील नहीं होती है, इसलिए ऐसी कोई अपील वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

7. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि ने हमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के माध्यम से

श्रमसाध्य विवरण। उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 3 से 7 पर भरोसा किया और फिर हमें धारा 13 पर ले गए। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 13 ने किसी के निर्णय से व्यथित किसी भी व्यक्ति को अपील प्रदान की। उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के परंतुक में कोई स्थान नहीं मिला, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 13 (1) की व्यापक भाषा अपील का अधिकार प्रदान करेगी। उनके अनुसार, यह तब और भी स्पष्ट हो गया जब धारा 21 के साथ पढ़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधान किसी भी चीज के बावजूद प्रभावी होंगे।

उस समय लागू किसी अन्य कानून में असंगत। उन्होंने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37, जो स्पष्ट रूप से

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के परंतुक में उल्लिखित, विशेष रूप से उक्त प्रावधान में गणना की गई अपीलों की बात करता है,

"और कोई अन्य नहीं" अभिव्यक्ति के साथ, जो अभिव्यक्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट है। वह.

यह भी तर्क दिया गया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) की भाषा अत्यंत व्यापक है- इसमें उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा "निर्णय", "निर्णय" और/या "आदेश" शामिल हैं, और ऐसा होने पर, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर निष्पादन याचिका को अनुमति देने वाला 8 अगस्त, 2017 का विवादित निर्णय निश्चित रूप से एक "निर्णय" और/या "निर्णय" होगा जो स्पष्ट रूप से व्यापक शब्दों कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. द्वारा कवर किया जाएगा।

वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) में निहित है। उन्होंने यह बताने के लिए धारा 13 (2) पर भी भरोसा किया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के लागू होने के बाद, अपील केवल उपरोक्त अधिनियम में इंगित तरीके से होती है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं। विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की योजना

यह दर्शाता है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक के सभी मामलों में, विधायी इरादा एक अपील प्रदान करना है, जिसमें शामिल दांव को देखते हुए, धारा 14 के तहत, ऐसी अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर तेजी से निपटाया जाएगा। विद्वान वकील ने हमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 का भी उल्लेख किया, जिसमें जहां तक मध्यस्थता अधिनियम के भाग I का संबंध है, एक गैर-बाधा खंड शामिल है, और कहा कि जहां तक मध्यस्थता अधिनियम के भाग II का संबंध है, इसी तरह के गैर-बाधा खंड का अभाव महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह एक ऐसा मामला भी नहीं है जहां प्रतिस्पर्धी गैर-अबाधित खंड हैं और इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। उनके अनुसार,

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 49 यह भी स्पष्ट करती है कि पुरस्कार को उस न्यायालय का आदेश माना जाएगा जो इसे लागू करता है। इस मामले में, इस तरह के डिक्री से अपील वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) द्वारा प्रदान की जाती है, जो, जैसा कि उनके द्वारा तर्क दिया गया है, "निर्णय", "निर्णय" और "आदेश" की बात करता है। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई फैसलों पर भरोसा किया।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री तेजास करिया ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 और 11 पर दृढ़ता से भरोसा किया। विद्वान वकील के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 का स्पष्टीकरण, जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 में निहित गैर-बाधा खंड को धारा 11 को रास्ता देना होगा, और यह कि मध्यस्थता की धारा 50 के बाद से

अधिनियम किसी विदेशी पुरस्कार के निष्पादन की अनुमति देने वाले आवेदन के खिलाफ अपील को निहित रूप से रोकता है, जहां तक उसके मुवक्किल का संबंध है, धारा 13 नुकसान के रास्ते से बाहर होगी। उन्होंने फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2011) 8 एस. सी. सी. 333 ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता से संबंधित सभी मामलों पर एक स्व-निहित संहिता है, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में निहित सामान्य कानून की प्रयोज्यता को बाहर कर देगा। इसके अलावा, उनके अनुसार, दोनों अधिनियमों का उद्देश्य मध्यस्थता और/या वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों का तेजी से निर्धारण करना है और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा एक अतिरिक्त अपील का प्रावधान, जिसे मध्यस्थता अधिनियम द्वारा निहित रूप से बाहर रखा गया है, [2018] 1 एस. सी. आर. के खिलाफ विद्रोह करेगा।

दोनों अधिनियमों का उद्देश्य। उन्होंने इन दलीलों को समर्थन देने के लिए इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के मामलों में 1 करोड़ रुपये से कम की राशि के लिए कोई अपील नहीं की जाएगी। हालांकि, केवल इसलिए कि विचाराधीन विदेशी पुरस्कार में निहित राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक थी, यह कारण नहीं है कि एक अतिरिक्त अपील प्रदान की जाएगी। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का यह उद्देश्य नहीं है। उन्होंने हमें वर्तमान अपीलों को खारिज करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान प्रयास अपरिहार्य देरी करने का एक और प्रयास था, और हमें यू. के. में विभिन्न कार्यवाही के साथ-साथ इस देश में कार्यवाही के लिए संदर्भित किया कि हमें प्रस्तुत करना चाहिए

अपील करें

इस जमीन पर अकेले

9. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनने के बाद, यह दिलचस्प है

यह ध्यान देने योग्य है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के साथ-साथ 2015 का विस्तृत मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, दोनों को भारतीय विधि आयोग की दो रिपोर्टों के परिणामस्वरूप उसी दिन यानी 23 अक्टूबर, 2015 को लागू किया गया था।

10. वाणिज्यिक उद्देश्यों और कारणों का विवरण

न्यायालय अधिनियम, अन्य बातों के साथ, प्रदान करता हैः

" उच्च मूल्य के त्वरित निपटान का प्रावधान करने का प्रस्ताव वाणिज्यिक विवाद विचाराधीन हैं

कुछ समय के लिए सरकार। उच्च मूल्य वाणिज्यिक

प्रारंभिक समाधान। वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र समाधान स्वतंत्र के बारे में निवेशक दुनिया के लिए एक सकारात्मक छवि बनाएँ

और उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली।

XXX

6. वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय शुरू करने का प्रस्ताव है।

उच्च न्यायालयों का प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक,

2015 वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग को प्रतिस्थापित करना और

उच्च न्यायालयों का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अध्यादेश, 2015

( i) जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन उस क्षेत्र के लिए जिस पर किसी उच्च न्यायालय का अधिकार है

मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र; कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

( (ग) सभी उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन करना ताकि इन आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जा सके। वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक प्रभाग के आदेश

उच्च न्यायालय का;

( v) वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करना जो - उच्च न्यायालय के मौजूदा नियमों और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्य प्रावधानों पर प्रबलता है ताकि दक्षता में सुधार हो और वाणिज्यिक मामलों के निपटान में देरी को कम किया जा सके।

7. प्रस्तावित विधेयक आर्थिक विकास को गति देगा, भारतीय न्याय वितरण प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय छवि और राष्ट्र की कानूनी संस्कृति में निवेशक दुनिया की छवि में सुधार करेगा।11. इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 2. परिभाषाएँ। ( 1 ) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, _ _ _

( i) वाणिज्यिक विवाद के संबंध में "निर्दिष्ट मूल्य" का अर्थ धारा 12 के अनुसार निर्धारित किए गए मुकदमे के संबंध में विषय-वस्तु का मूल्य होगा जो एक करोड़ रुपये से कम या ऐसा उच्च मूल्य नहीं होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। 4. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन। - ( 1 ) साधारण सिविल अधिकारिता वाले सभी उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आदेश द्वारा, प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक पीठों वाले वाणिज्यिक प्रभाग का गठन कर सकता है जिसमें एक ही न्यायाधीश हो।

इस अधिनियम के तहत।

( 2 ) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामित करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव है।

5. वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन। - ( 1 ) धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने या धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत आदेश जारी करने के बाद, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आदेश द्वारा, अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक या अधिक खंड पीठों वाले वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन करेगा।

( 2 ) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामित करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव है। 7. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता।

सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में दायर किए गए निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगाः

बशर्ते कि वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी मुकदमे और आवेदन, जो एक अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए हैं, किसी ऐसे न्यायालय में होने चाहिए जो

जिला न्यायालय, और उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर या लंबित, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुना और निपटाया जाएगाः बशर्ते कि डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 22 की उप-धारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किए गए सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा उन सभी क्षेत्रों में की जाएगी जिन पर उच्च न्यायालय सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता का प्रयोग करता है।

10. मध्यस्थता मामलों के संबंध में अधिकारिता। - जहाँ मध्यस्थता का विषय एक निर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद है और

( 1 ) यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई और निपटान वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा जहां ऐसे उच्च न्यायालय में ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है।

कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

( 2 ) यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर किए गए हैं, उनकी सुनवाई वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगा, जहां ऐसे

ऐसे उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है।

( 3 ) यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील जो आम तौर पर किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र के किसी भी प्रमुख दीवानी न्यायालय (उच्च न्यायालय नहीं होने के कारण) के समक्ष होते हैं, ऐसे मध्यस्थता पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले वाणिज्यिक न्यायालय में दायर किए जाएंगे और उसकी सुनवाई और निपटान किया जाएगा, जहां ऐसा वाणिज्यिक मध्यस्थता

न्यायालय का गठन किया गया है।

11. वाणिज्यिक न्यायालयों की अधिकारिता का बार और

वाणिज्यिक प्रभाग। - इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक वाणिज्यिक न्यायालय या एक वाणिज्यिक प्रभाग किसी भी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी भी मुकदमे, आवेदन या कार्यवाही पर विचार या निर्णय नहीं करेगा, जिसके संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से किसी अन्य कानून के तहत वर्जित है।

13. वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों के आदेशों से अपील। - ( 1 ) कोई भी व्यथित व्यक्ति

वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील कर सकता हैः

बशर्ते कि एक अपील एक वाणिज्यिक प्रभाग या एक वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों से होगी जो विशेष रूप से

इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLIII और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत गणना की गई।

( 2 ) तत्काल लागू किसी अन्य कानून या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान।

14. अपीलों का शीघ्र निपटान। द कमर्शियल

अपीलीय प्रभाग दायर की गई अपीलों का निपटारा करने का प्रयास करेगा। ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसके समक्ष।

किसी भी जिले या क्षेत्र के किसी सिविल न्यायालय में लंबित किसी निर्दिष्ट मूल्य का विवाद जिसके संबंध में एक वाणिज्यिक न्यायालय गठित, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय को हस्तांतरित किया जाएगाः

बशर्ते कि कोई भी वाद या आवेदन जहां वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के गठन से पहले न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा गया है, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ( 3 ) जहां विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित कोई मुकदमा या आवेदन, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत एक आवेदन भी शामिल है, को हस्तांतरित किया जाएगा।

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय, इस अधिनियम के प्रावधान उन प्रक्रियाओं पर लागू होंगे जो हस्तांतरण के समय पूरी नहीं हुई थीं।

( 4 ) वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय, जैसा भी मामला हो, ऐसे हस्तांतरित मुकदमे या आवेदन के संबंध में मामले प्रबंधन सुनवाई कर सकता है ताकि नई समय सीमा निर्धारित की जा सके या ऐसे आगे के निर्देश जारी किए जा सकें जो त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक हों।

और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XIV-A के अनुसार ऐसे वाद या आवेदन का प्रभावी निपटानः

बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के नियम 1 के उप-नियम (1) का परन्तुक ऐसे हस्तांतरित वाद या आवेदन पर लागू नहीं होगा और न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर एक नई समय अवधि निर्धारित कर सकता है जिसके भीतर लिखित विवरण दाखिल किया जाएगा। ( 5 ) यदि ऐसा वाद या आवेदन उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. में निर्दिष्ट तरीके से हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

धारा (3), उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग, वाद के किसी भी पक्ष के आवेदन पर, वापस ले सकता है।

न्यायालय से ऐसा वाद या आवेदन जिसके समक्ष वह लंबित है और उसे ऐसे वाद पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय, जैसा भी मामला हो, में परीक्षण या निपटान के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है और हस्तांतरण का ऐसा आदेश अंतिम होगा।

और बंधन।

21. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। - अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा, उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा उस समय लागू किसी भी कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद।

12. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940, मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937 और विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 को निरस्त कर दिया। इसका लंबा शीर्षक इस प्रकार हैः

" घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के साथ-साथ सुलह से संबंधित कानून और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों को परिभाषित करने के लिए एक अधिनियम।

वहाँ "।

उक्त अधिनियम चार भागों में है। भाग I, जिसके साथ हम वर्तमान अपीलों में संबंधित नहीं हैं, घरेलू और साथ ही घरेलू दोनों की बात करता है।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता जो भारत में होती है। भाग II, जिससे हम सीधे तौर पर संबंधित हैं, विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन की बात करता है। धारा 44 में विदेशी पुरस्कार को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक माने जाने वाले कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार।

मध्यस्थता के लिए लेखन जिस पर पहली अनुसूची में निर्धारित न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है। धारा 49 और 50, जिनसे हम सीधे तौर पर संबंधित हैं, निम्नानुसार हैंः

" 49. विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन। जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विदेशी अधिनिर्णय इस अध्याय के तहत प्रवर्तनीय है, तो अधिनिर्णय को उस न्यायालय की डिक्री माना जाएगा।

50. अपील योग्य आदेश। ( 1 ) आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी।

करना-[2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( क) धारा 45 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें; ( ख) धारा 48 के तहत किसी विदेशी पुरस्कार को प्राधिकृत न्यायालय को लागू करना।

कानून द्वारा ऐसे आदेश की अपीलों को सुनना। ( 2 ) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या नहीं करेगा।

उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को समाप्त कर दें।

13. 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा, एक कानून के अनुसार

आयोग की रिपोर्ट, भाग I में निहित विभिन्न प्रावधानों में बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए थे। जहां तक भाग II का संबंध है, धारा 47 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था जो निम्नानुसार हैः

" स्पष्टीकरण। इस धारा में और इस अध्याय में निम्नलिखित धाराओं में, "न्यायालय" का अर्थ है वह उच्च न्यायालय जो मध्यस्थता पुरस्कार के विषय को बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए मूल अधिकारिता रखता है-यदि वह अपनी मूल नागरिक अधिकारिता पर मुकदमे का विषय था और अन्य मामलों में, ऐसे उच्च न्यायालय में, जिसे ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की फरमानों से अपील सुनने की अधिकारिता है।

14. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1), जिसके साथ हम इन अपीलों में तुरंत संबंधित हैं, दो भागों में है। मुख्य बात प्रावधान, जैसा कि श्री गिरि द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है, एक ऐसा प्रावधान है जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णयों, आदेशों और फरमानों से अपील का प्रावधान करता है। इस मुख्य प्रावधान के लिए,

अपवाद को परंतुक द्वारा बनाया गया है। परंतुक का प्राथमिक उद्देश्य

एक अपवाद प्रदान करके मुख्य भाग की व्यापकता को अर्हता प्राप्त करना है, जिसे सी. आई. टी. वी. में बड़े आनंद के साथ निर्धारित किया गया है। इंडो-मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, 1959 सप्लीमेंट (2) एस. सी. आर. 256 266-267 पर, इस प्रकारः

" परंतुक का उचित कार्य यह है कि यह एक अपवाद प्रदान करके मुख्य अधिनियम की व्यापकता को योग्य बनाता है और मुख्य अधिनियम से एक ऐसा भाग निकालता है जो परंतुक के लिए मुख्य अधिनियम के भीतर आता है। आम तौर पर किसी परंतुक के उचित कार्य के लिए इसे परिशिष्ट के माध्यम से कुछ प्रदान करने या किसी ऐसे विषय से निपटने के रूप में पढ़ना विदेशी है जो मुख्य अधिनियम के लिए विदेशी है। " यह निर्माण का एक मौलिक नियम है कि एक परंतुक पर उस प्रमुख मामले के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह एक परंतुक के रूप में खड़ा है। इसलिए इसे मुख्य अधिनियम के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। ( पर दास, सी. जे.

कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

अब्दुल जबर बट बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य [(1957) एससीआर 51,59])। भगवती, जे., राम नारायण संस लिमिटेड बनाम। सहायक बिक्री कर आयुक्त [(1955) 2 एससीआर 483,493] ने कहाः

" यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है कि एक क़ानून के एक विशेष प्रावधान के लिए एक परंतुक केवल उस क्षेत्र को शामिल करता है जो शामिल है। मुख्य प्रावधान द्वारा। यह उस मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद बनाता है जिसके लिए इसे एक परंतुक के रूप में अधिनियमित किया गया है और नहीं

अन्य "।

मद्रास और दक्षिणी महाराष्ट्र रेलवे में लॉर्ड मैकमिलन

को. वी. बेजवाड़ा नगर पालिका [(1944) एल. आर. 71 आई. ए. 113,122] ने एक परंतुक का क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित कियाः

" परंतुक का उचित कार्य किसी ऐसे मामले को छोड़ना और उससे निपटना है जो अन्यथा सामान्य भाषा में आता है। मुख्य अधिनियम का , और इसका प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है। जहां, जैसा कि वर्तमान मामले में, मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, एक परंतुक का मुख्य अधिनियम की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ताकि जो स्पष्ट रूप से इसके दायरे में आता है उसे निहितार्थ द्वारा इससे बाहर रखा जा सके।

शब्दों को व्यक्त करें "।

इसलिए एक परंतुक का क्षेत्र मुख्य अधिनियम के लिए एक अपवाद बनाना और कुछ ऐसी चीज़ को बाहर करना है जो अन्यथा धारा के भीतर होती। इसे उसी क्षेत्र में काम करना पड़ता है।

और यदि मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट है तो यह नहीं हो सकता है

मुख्य अधिनियम की व्याख्या करने के उद्देश्य से या

अधिनियम जो स्पष्ट रूप से कहता है उसे निहितार्थ से बाहर करें जब तक कि परंतुक के शब्द ऐसे हैं कि यह इसका आवश्यक प्रभाव है। ( कॉरपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ टोरंटो बनाम। अटॉर्नी-जनरल

कनाडा के लिए [(1946) एसी 32,37]। ”

15. परंतुक में आगे कहा गया है कि एक अपील इस तरह से होगी

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पारित किए गए जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLIII और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत गणना किए गए हैं। यह तुरंत लिखा जाएगा कि आदेश जो आदेश के तहत विशेष रूप से गणना नहीं किए गए हैंइसलिए सी. पी. सी. का I अपील योग्य नहीं होगा, और केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में निहित अपीलें वे अपीलें हैं जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में की जाती हैं।

18 ] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. इस प्रकार, एक आदेश जो धारा के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करता है

8 , धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य नहीं होने के कारण, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील योग्य नहीं होगी। इसी तरह, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) और (3) में निर्दिष्ट याचिका को खारिज करने वाली अपील धारा 37 (2) (ए) के तहत और इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत समान रूप से अपील योग्य नहीं होगी।

17. अब तक, इतना अच्छा। हालाँकि, यह श्री गिरि का मुख्य तर्क है कि

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 का परंतुक में कोई उल्लेख नहीं है

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) और इसलिए, इसके बावजूद कि एक अपील की धारा 50 के तहत निहित नहीं होगी मध्यस्थता अधिनियम, यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत होगा।

18. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्णय का विज्ञापन करना आवश्यक है।

फिर भी, उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत अपील की जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा की और फिर पैराग्राफ 36 में कहा कि अब तक देखे गए निर्णय कुछ व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। हम सीधे तौर पर चिंतित हैं उप-धारा (vii) में निर्धारित सिद्धांत के साथ, जो निम्नानुसार हैः

सामान्य विधि प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर रखा जाएगा। द. व्यक्त प्रावधान के लिए अक्षरों के शब्दों को संदर्भित करने या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

पेटेंट "लेकिन अगर प्रावधान को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि आगे सब कुछ

अपीलों पर रोक लगा दी जाती है तो एक पत्र पेटेंट अपील भी होगी

वर्जित "।

(

पृष्ठ 350 पर)

19. उस मामले में इस न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुतियों में से एक है -

श्री गिरि द्वारा हमारे समक्ष किया गया समान निवेदन कि धारा 37 में "और किसी अन्य से नहीं" अभिव्यक्ति है जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। न्यायालय द्वारा इसका उत्तर इस प्रकार दिया गयाः

" 60. यह भी स्पष्ट है कि अधिनियम के भाग I और भाग II काफी हैं।

अलग और इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो उनके कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

संबंधित क्षेत्र। धारा 2 के प्रारंभिक शब्द अर्थात परिभाषा

भाग I में खंड, यह स्पष्ट करता है कि शर्तों को दिए गए अर्थ और उस खंड में परिभाषित अभिव्यक्तियाँ उस उद्देश्य के लिए हैं

अकेला हिस्सा। धारा 4 जो आपत्ति के अधिकार की छूट से संबंधित है

अधिनियम के भाग I के लिए भी विशिष्ट। धारा 5 की सीमा से संबंधित

न्यायिक हस्तक्षेप भी अधिनियम के भाग I के लिए विशिष्ट है। धारा 7

जो "मध्यस्थता समझौते" को काफी विस्तार से भी परिभाषित करता है। इस शब्द का अर्थ केवल अधिनियम के भाग I तक ही सीमित है। अनुभाग

8 पक्षकारों को संदर्भित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित है

मध्यस्थता जहाँ एक मध्यस्थता समझौता है और यह

प्रावधान भी केवल भाग I (संबंधित प्रावधान) से संबंधित है।

स्वतंत्र रूप से अध्याय I की धारा 45 और 54 में बनाए गए हैं और

II, भाग II का क्रमशः)। उनके द्वारा भाग I के अन्य प्रावधान जहाँ तक दोनों अध्यायों का संबंध है, प्रकृति का कोई उपयोग नहीं होगा।

भाग II का संबंध है।

61. एक बार यह देखा जाता है कि अधिनियम के भाग I और भाग II काफी हैं।

उनके उद्देश्य और उद्देश्य और संबंधित योजनाओं में अंतर, यह स्वाभाविक रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि भाग I में धारा 37 (धारा के अनुरूप)

39 1940 अधिनियम) के भाग II की धारा 50 के साथ तुलनीय नहीं है।

अधिनियम। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि, जैसा कि श्री सुंदरम सेक्शन का तर्क देते हैं

37 कोष्ठक में शब्द हैं "और किसी अन्य से नहीं" जो हैं अधिनियम की धारा 50 में नहीं पाया जाता है। धारा 37 और धारा

वैधानिक योजनाएं। धारा 37 जिसमें अपील का प्रावधान है एक बहुत बड़े ढांचे का हिस्सा है जो, जैसा कि ऊपर देखा गया है,

घरेलू से संबंधित कानून की पूरी श्रृंखला के लिए प्रावधान

मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता। धारा 50 पर

दूसरी ओर अपील का प्रावधान बहुत सीमित है। ढांचा, केवल नए के प्रवर्तन से संबंधित है

यॉर्क कन्वेंशन अवाड्र्स एक अर्थ में, दोनों खंड, हालांकि प्रत्येक जिसमें अपीलीय प्रावधान है, अलग-अलग कानूनों से संबंधित है।

( पृष्ठों पर 356-357)

इसके बाद न्यायालय विधायी नीति में चला गया जिसके कारण

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50। यह पाया गया कि इसके तहत

विदेशी पुरस्कार अधिनियम के तहत, एक औपचारिक आदेश पारित किया जाना था

विदेशी पुरस्कार, और एक संभावना थी कि इस तरह की डिक्री

पुरस्कार के अनुसार अधिक हो या न हो।

इसका कारण यह है कि विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत विदेशी पुरस्कार को लागू करने वाले आदेश के खिलाफ भी अपील की जाती है। हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम में धारा 49 को लागू करके इसे समाप्त कर दिया गया था, जो एक आमूलचूल परिवर्तन करता है जिसके द्वारा विदेशी पुरस्कार को स्वयं न्यायालय का आदेश माना जाता है। इस प्रकार ऐसे मामलों में अपील के बहिष्करण को अधिनियम की धारा 49 द्वारा शुरू किए गए कानून में परिवर्तन के आलोक में समझा जाना चाहिए (निर्णय के पैराग्राफ 74 और 75 देखें)। यह जोड़ा जा सकता है कि उपरोक्त संशोधन ने प्रक्रिया को तेज कर दिया है

उन मामलों में अपील के अधिकार को छीनकर विदेशी पुरस्कारों को लागू करना जहां एकल न्यायाधीश विदेशी पुरस्कार को लागू करने के पक्ष में निर्णय लेता है।

20. न्यायालय ने भारत संघ बनाम मोहिंद्र आपूर्ति कंपनी, (1962) 3 एस. सी. आर. 497 में इस न्यायालय के फैसले पर चर्चा की और अंततः निष्कर्ष निकाला गयाः

" 89. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को अपनी स्थापना से लेकर 2004 तक (पी. एस. सतप्पन [(2004) 11 एस. सी. सी. 672] में) एक स्व-निहित संहिता माना गया था। अब, यदि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता माना गया था, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जो इसे लाने के लिए मध्यस्थता से संबंधित कानून को समेकित करता है, संशोधन करता है और डिजाइन करता है, जितना संभव हो सके, गैर-मध्यस्थ मॉडल के अनुरूप होना चाहिए। एक बार जब यह माना जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता और संपूर्ण है, तो इसे तुलजापुरकर की स्पष्ट अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए भी माना जाना चाहिए,

जे., कि यह अपने साथ एक नकारात्मक महत्व रखता है कि केवल ऐसे कार्य किए जाने की अनुमति है जो अधिनियम में उल्लिखित हैं और ऐसे कार्य या चीजें जो उसमें उल्लिखित नहीं हैं, किए जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक पत्र पेटेंट अपील को सामान्य सिद्धांतों में से एक के आवेदन द्वारा बाहर रखा जाएगा कि जहां विशेष अधिनियम एक स्व-निहित कोड निर्धारित करता है तो सामान्य की प्रयोज्यता

कानूनी प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर रखा जाएगा।

90. इस प्रकार, हम दो अलग-अलग तरीकों से एक पत्र पेटेंट अपील के अपवर्जन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं; एक, कहने के लिए, 1996 के अधिनियम की धारा 49 और 50 द्वारा तैयार की गई योजना की जांच करके और 1961 के अधिनियम की धारा 6 के तहत अपील के पहले के प्रावधान में जो आमूलचूल परिवर्तन लाता है और दूसरा 1996 के अधिनियम की प्रकृति और चरित्र को ध्यान में रखते हुए स्थूल आधार पर एक स्व-निहित और संपूर्ण के रूप में।

कोड अपने आप में।

91. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, यह माना जाना चाहिए कि नहीं

लेटर पेटेंट अपील उस आदेश के खिलाफ होगी जो अपील योग्य नहीं है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 50 के तहत।

(

पृष्ठ 371 पर)

21. फ्यूर्स्ट डे लॉसन में इस अदालत के फैसले को देखते हुए

( उपर्युक्त), जिसे संसद को यह जानने के लिए माना जाता है कि उसने मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 कब लागू किया था, और इस तथ्य को देखते हुए कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में कोई बदलाव नहीं किया गया था जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था, यह स्पष्ट है कि धारा 50 मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता में निहित एक प्रावधान है, और जो प्रकृति में संपूर्ण है। इसमें फ़्यूर्स्ट डे लॉसन (ऊपर) के पैराग्राफ 89 में उल्लिखित नकारात्मक महत्व है कि जिन अपीलों का उसमें उल्लेख नहीं है, वे स्वीकार्य नहीं हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1), एक सामान्य

वाणिज्यिक विवादों से उत्पन्न अपीलों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 के तहत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा।

22. हालांकि, सवाल अभी भी उठता है कि धारा 37 क्यों

मध्यस्थता अधिनियम को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था, जो समान रूप से अपील का एक विशेष प्रावधान है। एक स्व-निहित संहिता में निहित, जो किसी भी मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के बाहर होगी। इसका एक उत्तर यह है कि यह बहुत कम समय में किया गया था। एक अन्य उत्तर यह हो सकता है कि चूंकि धारा 37 को स्वयं मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जो उसी दिन वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के रूप में लागू हुआ था, संसद ने अपने विवेक में सोचा कि इस बात पर जोर देना आवश्यक था कि संशोधित धारा 37 को सामान्य से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) में निहित प्रावधान। संयोगवश, 2015 के संशोधन ने मध्यस्थता अधिनियम में अपील योग्य आदेशों की श्रेणी में एक और श्रेणी पेश की, अर्थात् एक ऐसी श्रेणी जहां धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने का आदेश दिया जाता है। संसद ने इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक पाया होगा कि धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने वाला आदेश धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य नहीं है और इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील योग्य नहीं होगा। धारा 13 (1) के परंतुक में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को शामिल करने का अंतिम कारण जो भी हो, फ़्यूर्स्ट डे लॉसन (ऊपर) में निर्णय का अनुपात निर्णय लागू होगा, और ऐसा होने पर, अपील [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. वास्तव में, यह धारा 50 की भाषा से ही मिलता है। विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के सभी मध्यस्थता मामलों में, यह धारा 50 है। केवल जो एक अपील प्रदान करता है। अपील के लिए प्रावधान करने के बाद, अपील का मंच "ऐसे आदेशों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय" पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए, धारा 50 को ठीक से पढ़ने का अर्थ यह होगा कि यदि कोई अपील उक्त प्रावधान के तहत है, तो अकेले वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) को उस मंच को निर्धारित करने के रूप में आकर्षित किया जाएगा जो ऐसी अपील की सुनवाई और निर्णय करेगा।

24. वास्तव में, सुमितोमो कॉर्पोरेशन बनाम सीडीसी फाइनेंशियल में

सर्विसेज (मॉरीशस) लिमिटेड और अन्य। , ( 2008 ) 4 एस. सी. सी. 91, यह न्यायालय

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 (1) (ए) और 10 एफ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार धारा 50 में अपील का प्रावधान किया जाता है, तो ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय कंपनी अधिनियम की धारा 10 (1) (ए) और 10 एफ में पाया जाएगा। वर्तमान मामला धारा 50 का एक समानांतर उदाहरण है।

मध्यस्थता अधिनियम अपील के लिए प्रावधान करता है, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) ऐसी अपील के लिए मंच प्रदान करती है। केवल वर्तमान मामले में, क्योंकि मध्यस्थता की धारा 50 के तहत कोई अपील नहीं है

अधिनियम, कोई मंच प्रदान नहीं किया जा सकता है।

25. अरुण देव उपाध्याय बनाम में इस न्यायालय का हालिया निर्णय। इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड, (2016) 9 एस. सी. सी. 524 को 537 पर दोनों पक्षों के वकील द्वारा स्वीकार किया गया था। तथ्यों के आधार पर, इस मामले में एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के पक्ष में विदेशी निर्णय लागू करने से इनकार कर दिया था। द.

उस मामले में प्रत्यर्थियों ने दावा किया कि 1986 के महाराष्ट्र अधिनियम द्वारा लेटर पेटेंट अपील के उन्मूलन को देखते हुए एकल न्यायाधीश की अपील विचारणीय नहीं थी। फ्यूर्स्ट डे के बाद यह अदालत

लॉसन (ऊपर) ने निम्नलिखित में उपरोक्त विवाद को खारिज कर दियाः शर्तेंः

" 25. उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि एक मंच है

बनाया गया अर्थात वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग। 1996 के अधिनियम की धारा 50 (1) (बी) में अपील का प्रावधान है। धारा 50 (1) (बी) को उस अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया है जो 23-10 पर लागू हुआ है। 2015. इस प्रकार, 1996 के अधिनियम की धारा 50 (1) (बी) के तहत डिवीजन बेंच के समक्ष अपील विचारणीय है।

कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. वी. मेसर्स ओ. सी. आई. निगम और ए. एन. आर. [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

सेल्स सर्विसेज लिमिटेड v. डीएमसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड, 2016 विद्वान एकल न्यायाधीश का एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4445]

1996 के अधिनियम की धारा 50 (1) (बी) के मूल पक्ष में पारित किया गया है

उच्च न्यायालय। जो भी हो, अधिनियम की धारा 13 के तहत,

एकल न्यायाधीश ने निर्णय लिया है। धारा 13 अपील पर रोक लगाती है।

लेटर्स पेटेंट के तहत जब तक कि इसके तहत अपील प्रदान नहीं की जाती है

1996 एक्ट करें। इस तरह की अपील अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदान की गई है।

लेटर पेटेंट अपील को लागू नहीं किया जा सकता था यदि धारा

50 1996 के अधिनियम में अपील का प्रावधान नहीं था। लेकिन यह

अपील का प्रावधान करता है। खंड 5 का एक परिप्रेक्ष्य पठन

और अधिनियम की धारा 13 और 1996 अधिनियम की धारा 50 जिसमें

अपरिवर्तित रहने से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है कि

लेटर पेटेंट अपील डिवीजन बेंच के समक्ष बनाए रखने योग्य है। यह.

1996 की धारा 50 (1) (बी) के तहत अपील के रूप में माना जाना चाहिए।

अधिनियम बनाएँ और उक्त मापदंडों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।

99

26. ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह धारा 50 है जो प्रदान करती है

अपील के लिए, न कि पत्र पेटेंट के लिए, अपील की विषय वस्तु दी गई है। साथ ही, अपील पर केवल धारा 50 के मानदंडों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही, जहां धारा 50 किसी अपील को बाहर करती है, ऐसी कोई अपील नहीं होगी।

27. मामले के इस दृष्टिकोण से, श्री को विज्ञापन देना अनावश्यक है।

गिरि की दलीलें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 पर आधारित हैं।

धारा 21 केवल तभी लागू होगी जब धारा 13 (1) पहली जगह में लागू होती है, जिसे, जैसा कि पाया गया है, ऊपर दिए गए कारणों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। समान रूप से, वाणिज्यिक न्यायालय

अधिनियम की धारा 11 के आधार पर अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की दलीलों का विज्ञापन करना अनावश्यक है।

28. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है।

दोनों कानूनों के उद्देश्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता स्वयं पक्षों के बीच विवादों का त्वरित समाधान है। समान रूप से, यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यावसायिक रूप से एक समान भागीदार के रूप में बने रहना है, तो विदेशी पुरस्कारों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधिनियमन का कारण यह है कि अधिक राशि वाले वाणिज्यिक विवादों का तेजी से निर्णय लिया जाना चाहिए। दोनों अधिनियमों के उद्देश्यों को देखते हुए, यदि हम एक अतिरिक्त अपील प्रदान करते हैं, [2018] 1 एस. सी. आर.

जब धारा 50 किसी अपील को समाप्त कर देती है ताकि विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू किया जा सके, तो हम मध्यस्थता अधिनियम और

वाणिज्यिक न्यायालय उनके शीर्ष पर अधिनियम बनाते हैं। मान लीजिए, यदि भारत में लागू किए जाने वाले विदेशी पुरस्कार में निहित राशि इससे कम थी

रु. एक करोड़, और एक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को इस तरह के पुरस्कार को लागू करना था, विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर, एक ही तथ्य में

इस परिस्थिति में, एक विदेशी पुरस्कार एक करोड़ या उससे अधिक के लिए होना था, यदि अपीलकर्ता सही हैं, तो इस तरह के पुरस्कार के प्रवर्तन में वाणिज्यिक की धारा 13 (1) के तहत अपील प्रदान करके और देरी होगी। न्यायालय अधिनियम। ऐसी कोई भी व्याख्या बेतुकी होगी, और वाणिज्यिक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के सीधे विपरीत होगी।

न्यायालय अधिनियम, अर्थात। , 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का त्वरित समाधान। इस कारण से भी, हम महसूस करते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) का अर्थ अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुसार लगाया जाना चाहिए। इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 का कोई भी निर्माण, जिससे विदेशी अधिनिर्णय को तेजी से लागू करने के बजाय और देरी होगी, को रोका जाना चाहिए। यहां तक कि दोनों कानूनों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने पर भी, यह स्पष्ट है कि विशेष क़ानून यानी मध्यस्थता को प्रभावी बनाकर उनका सबसे अच्छा सामंजस्य किया जाता है। अधिनियम, अधिक सामान्य क़ानून, अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, को मध्यस्थता के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है।

29. इसलिए, अपीलों को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

कल्पना के. त्रिपाठी